न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डौन जिला करौली

मुकदमा नं0 750/2020 तारीख रजू:– 18.08.2020

पीठासीन अधिकारी :– अनूपसिंह

R.A.S.

1. कान्ता पत्नि कुन्दनलाल | पुत्रियॉं कल्याण प्रसाद जाति कोली
2. गीता पत्नि राकेश | निवासी आगरा
3. बबली पत्नि गोतम
4. गुड्डी पत्नि राधेश्याम पुत्री कल्याण प्रसाद जाति कोली निवासी भरतपुर राजस्थान ———————————— सायलान

बनाम

1. हरिमोहन | पिसरान कल्याण प्रसाद जाति कोली निवासी जाट की सराय
2. अर्जुन | हिण्डौन जिला करौली
2. तहसीलदार, तहसील हिण्डौन जिला करौली ————————— गैरसायलान

प्रार्थना–पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित :– 1. श्री एडवोकेट अशोक नीमनका सायलान
2. श्री पी0एल0 गोयल एडवोकेट गैरसायल सं01

निर्णय

दिनांक :–30.09.2021

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि सायलान ने गैरसायलान के विरूद्ध प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पेश कर प्रार्थना पत्र के मद नं01 में दर्ज किया है कि सायलान ने अदालत हाजा में गैरसायलान के विरूद्ध उक्त आराजी बाबत इस्तकरार हक, तकास्मा व स्थायी निषेधाज्ञा का पेश कर दिया है।

प्रार्थना पत्र के मद नं02 में दर्ज किया है कि आराजी खसरा नम्बर 1405/2 रकबा 0.21 है0 स्थित कस्बा हिण्डौन सायलान एवं गैरसायलान के मृतक पिता कल्याण प्रसाद की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी रही है। जो कि उन्हें सायलान एवं गैरसायलान मृतक बाबा मृतक किशोरीलाल से विरासत में प्राप्त हुई है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Harsolia
Date: 2023.02.15 17:19
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

इस प्रकार विवादग्रस्त आराजीयात में सायलान एवं गैरसायलान का 1/6, 1/6 हिस्सा आई बर्थ रहा है एवं मौके पर सायलान एवं गैरसायल सं01 व 2 इसी प्रकार अपने अपने हिस्से पर काबिज एवं दखील हैं। सायलान एवं गैरसायलान के परिवार का सजरा अंकित किया है जिसमें किशोरी के तीन लडके कल्याणप्रसाद, गंगाविशन (फौत), भजनलाल (फौत), हैं।

प्रार्थना पत्र के मद नं03 में दर्ज किया है कि कालांतर से मृतक किशोरी की खातेदारी के खेत खसरा नं0 1405 रकबा 0.65 है0 स्थित कस्बा हिण्डौन रहा है, लेकिन मृत्यु के बाद उक्त खसरा नम्बर 1405 को उनके तीनों पुत्र कल्याण प्रसाद, गंगाविशन व भजनलाल ने आपस में विधिवत बंटवारा कर लिया। जिसके खसरा नम्बर 1405/2 रकबा 0.21 है0 स्थित कस्बा हिण्डौन सायलान एवं गैरसायलान के पिता कल्याण प्रसाद के हिस्से में आया, जिन्होंने अपने जीवनकाल में ही उक्त खसरा नम्बर का 6 वारिसों में 1/6, 1/6 बराबर बराबर हिस्सों में बांट कर मौके पर कब्जा करा दिया एवं उसी समय से सायलान एवं गैरसायल सं01 व 2 अपने अपने हिस्से पर काबिज एवं दखील हैं।

प्रार्थना पत्र के मद नं04 में दर्ज किया है कि बाका दिनांक 22.07.2020 को सायलान अपने हिस्से की साल संभाल करने आई हुई थी कि मौके पर कुछ लोग सायलान के हिस्सों की नाप तोड कर रहे थे, जिस पर सायलान ने उक्त लोगों ने कहा कि इन जमीनों को हम गैरसायल सं0 1 व 2 से खरीद कर रहे हैं, इसलिए नाप तौल कर रहे हैं। जिस पर सायलान ने गैरसायल सं01 व 2 से सम्पर्क कर उनके हिस्से को बेचान बाबत पूछा तो गैरसालान ने स्पष्ट कहा कि हम पिता के सारे हिस्से को ही बेचान कर रहे हैं, जिस पर सायलान ने गैरसायलान से कहा कि तुम हमारे हिस्से का बेचान कैसे कर सकते हो, लेकिन गैरसायलान किसी की एक मानने को तैयार नहीं है, इसलिए दावा व सम्बन्धित प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है।

प्रार्थना पत्र के मद नं05 में दर्ज किया है कि अगर गैरसायलान अ[illegible] उक्त गैरकानूनी मंसूबे में कामयाब हो गये तो सायलान को अपूर्तनीय क्षति होगी, जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी प्रकार इन टर्मस ऑफ मनी होना सम्भव नहीं हो सकेगी, जबकि गैरसायलान को पाबन्द फरमाने से उन्हें कोई क्षति किसी भी प्रकार की नहीं है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sur[illegible]
Harsolia
Date: 2023.02.15 17:19
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

प्रार्थना पत्र के मद नं06 में दर्ज किया है कि इस तरह प्राईमाफेसी केस व सुविधा का सन्तुलन भी सायलान के पक्ष में बखूबी साबित है।

अतः प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पेश कर निवेदन किया है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर गैरसायलान को ताफैंसला दावा पाबन्द फरमाया जावे कि गैरसायलान खसरा नम्बर 1405/2 रकबा 0.21 है0 कस्बा हिण्डौन से सायलान को बेदखल कर स्वंय कब्जा नहीं करें, सायलान के हिस्से में प्लाट काटकर उसका बेचान नहीं करें। कृषि भूमि को अकृषि में परिवर्तित नहीं करें। रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायलान को जरिये नोटिस तलब किया गया। गैरसायल सं03 बावजूद तामील उपस्थित नहीं हुए इसलिए उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही करने के आदेश दिये गये तथा गैरसायल सं01 व 2 बाद तामील जरिये अधिवक्ता उपस्थित आये तथा जबाव प्रार्थना पत्र पेश कर जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं01 में दर्ज किया है कि सायलान द्वारा गैरसायलान के विरुद्ध उपरोक्त उनवानी दावा पेश किया जाना सही, लेकिन सायलान को उक्त दावे में सफलता की लेशमात्र भी गुंजाईश नहीं है। उक्त दावा विधि विरुद्ध व गलत तथ्यों पर आधारित होने से खारिज होने योग्य है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं02 में दर्ज किया है कि आराजी खसरा नम्बर 1405/2 रकवा 21 एयर स्थित कस्बा हिण्डौन सायलान एवं गैरसायलान के मृतक पिता कल्याण प्रसाद की खातेदारी व कब्जेकाश्त की आराजी रही है, जो कि उन्हें सायलान एवं गैरसायलान के मृतक बाबा किशोरीलाल से विरासत में प्राप्त नहीं हुई है। विवादग्रस्त आराजी में सायलान एवं गैरसायलान का कोई 1/6–1/6 हिस्सा वाईबर्थ नहीं रहा है और ना ही मौके पर सायलान एवं गैरसायल संख्या 01 व 02 किसी प्रकार से अपने तथाकथित किसी हिस्से पर काबिज व दखील हैं। सायल एवं गैरसायलान का सजरा बिल्कुल गलत बताया गया है। सायलान ने उक्त मद में कहा नहीं बताया कि किस प्रकार से वे लोग किस–किस हिस्से पर मौके अनुसार काबिज व दखील हैं, बल्कि वास्तविकता यह है कि कल्याण प्रसाद को अपने पिता किशोरी से केवल 1/6 हिस्सा अर्थात मात्र साढ़े दस एयर भूमि प्राप्त हुई व शेष 1/6 हिस्सा अर्थात साढ़े दस एयर भूमि अपनी बहिन जरिये हकत्याग प्राप्त हुई है जो कि उसकी निजी

Signature Not Verified
Digitally signed by Sure Harsolia
Date: 2023.02.15 17:19
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

सम्पत्ति रही है न कि विरासत की। इस प्रकार प्रार्थना पत्र बिल्कुल गलत व विधि विरुद्ध दायर किया गया है जो खारिज किये जाने योग्य है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं03 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र के मद नं03 में मृतक किशोरी लाल की खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 1405 रकवा 55 एयर का ना होकर रकवा 65 एयर का कस्बा हिण्डौन में रहा है तथा उनकी मृत्यु के बाद खसरा नम्बर 1405 में उनकी विरासत का नामांतकरण उनके तीनों पुत्र कल्याण प्रसाद, गंगाविशन व भजनलाल व तीन पुत्रियां मंगली, परवो व चन्द्रवती के नाम खुलकर तस्दीक हुआ। इस प्रकार उक्त आराजी में कल्याण प्रसाद का 1/3 हिस्सा ना होकर 1/6 हिस्सा रहा है तथा कल्याण प्रसाद की बहिन चन्द्रवती द्वारा अपने 1/6 हिस्से का हकत्याग कल्याण प्रसाद के खास भाई गंगाविशन को कर दिया, जिसका नामांतकरण नम्बर 4739 दिनांक 22.10.2013 को गंगाविशन के हक में खुलकर उक्त आराजी में वह 1/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार हो गया तथा कल्याण की दूसरी बहिन मंगली के फौत होने पर उसके 1/6 हिस्से का विरासत का नामांतकरण 4733 दिनांक 22.10.2013 को डालचन्द, राजेन्द्र पिसरान इन्दरलाल तथा रामकन्या, लक्ष्मीबाई पुत्री इन्दरलाल के हक में खुलकर तस्दीक हो गया, तदोपरान्त मंगली के वारिसान व परवो पुत्री किशोरी लाल ने अपने 1/6–1/6 हिस्से को भजनलाल व कल्याण प्रसाद को दे दिया, जिसका नामांतकरण नम्बरी 4764 दिनांक 06.12.2013 को खुलकर तस्दीक हो गया। इस प्रकार उक्त आराजी में 1/6–1/6 हिस्सा कल्याण प्रसाद, गंगाविशन व भजनलाल को अपने पिता किशोरीलाल से विरासत में मिला। शेष 1/6–1/6 हिस्सा उन्हें अपनी बहिनों से प्राप्त हुआ। इस प्रकार किशोरी लाल के तीनों पुत्र उक्त आराजी में 1/3–1/3–1/3 हिस्से के खातेदार काश्तकार हो गये, इस प्रकार बहिनों से प्राप्त सम्पत्ति कल्याण प्रसाद व उसके भाईयों की निजी स्वत्व व स्वामित्व की रही। तदोपरान्त तीनों भाईयों ने उक्त आराजी का तकसीम कर लिया जिसमें खसरा नम्बर 1405/2 रकवा 21 एयर भूमि कल्याण प्रसाद के हक में रही, जो कि मुताबिक तकास्मा व हकत्याग से प्राप्त भूमि उसकी निजी सम्पत्ति रही न कि कोई विरासत की सम्पत्ति रही। सायलान का उक्त मद में यह कथन कि खसरा नम्बर 1405 रकवा 22 एयर सायलान एवं पिता गैरसायलान के हिस्से में आया, बिल्कुल गलत है, बल्कि 21 एयर भूमि आयी जो उसकी निजी सम्पत्ति रही तथा कल्याण प्रसाद ने

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

Signature Not Verified
Digitally signed by Sur... Harsolia
Date: 2023.02.15 17:1...
Reason: SelfAttested

अपने जीवनकाल में कभी भी उक्त खसरा नम्बरान को अपने वारिसों के मध्य 1/6–1/6 हिस्सों में बराबर नहीं बांटा और ना ही मौके पर कोई कब्जा कराया। सायलान ने इस मद में बंटवारे की कोई तारीख, साल व महीना व तिथि तक अंकित नहीं की है, जब कल्याण प्रसाद ने अपने जीवनकाल में सायलान एवं गैरसायल नम्बर 01 व 02 के मध्य कोई बंटवारा किया ही नहीं तो सायलान एवं गैरसायल नम्बर 01 व 02 को 1/6–1/6 हिस्सों पर कब्जा कराने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। बंटवारे के सम्बंध में कोई तफ्शील सायलान ने उक्त मद में अंकित नहीं की है, जिससे भी उनकी झूठ का स्पष्ट पता चलता है, बल्कि सायलान एवं गैरसायल नम्बर 01 व 02 के पिता ने अपने जीवनकाल में अपनी सम्पूर्ण आराजी खसरा नम्बर 1405/2 रकवा 21 एयर में प्लाटिंग कर उसे विभिन्न लोगों विष्णु महावर पुत्र नत्थी को दो प्लाट, सुरेश कोली पुत्र गिरधर को दो प्लाट, रामदयाल कोली पुत्र नत्थीलाल को दो प्लाट, गंगाविशन को तथा बनवारी, गुड्डू आदि कई लोगों को प्लाट काटकर उन्हें विक्रय कर दिया तथा विक्रय भूमि पर खरीदारान का कब्जा करा दिया तथा मौके पर खरीदारान काबिज व दखील है जिनका बखूबी इल्म सायलान को है मगर सायलान द्वारा उक्त लोगों को प्रकरण हाजा में जानबूझकर पक्षकार नहीं बनाया है, इसलिये कानूनन प्रकरण हाजा में नोन जोइन्डर ऑफ पार्टीज का नुक्श आरिज होने से प्रार्थना पत्र सायलान कानूनन पोषणीय नहीं होने से खारिज होने योग्य है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं04 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र का मद नं04 गलत है व अस्वीकार है। दिनांक 22.07.2020 को सायलान अपने किसी तथाकथित हिस्सों की कोई सारसंभाल करने नहीं आयी हुई थी और ना ही मौके पर कुछ लोग कोई नाप तौल कर रहे थे और ना ही सायलान ने उक्त लोगों से उक्त मद में वर्णित कोई तथ्य कहे और ना ही सायलान ने गैरसायल संख्या 01 व 02 से कोई सम्पर्क कर उनके तथाकथित हिस्सों के बेचान बावत् पूछा और ना ही गैरसायलान ने उक्त मद में वर्णित तथ्य सायलान से कहे। जब सायलान का विवादित भूमि में कोई हिस्सा व कब्जा है ही नहीं तो सायलान द्वारा उसको संभालने आने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता और वादी एवं गैरसायलान का पिता कल्याण प्रसाद जब अपने जीवनकाल में अपनी निजी सम्पत्ति में प्लाटिंग कर दीगर लोगों को विक्रय कर उनका कब्जा करा दिया तो ऐसी सूरत में सायलान एवं गैरसायल नम्बर 01 व 02 के मध्य उक्त मद में

Signature Not Verified
Digitally signed by Sur
Harsolia
Date: 2023.02.15 17:1
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

वर्णित कोई वार्तालाप होने का भी प्रश्न पैदा नहीं होता। सायलान ने उक्त मद में वर्णित तथ्य महज झूंठा कॉज ऑफ एक्शन दर्ज करने की गरज से अंकित किये हैं। प्रार्थना पत्र सायलान खारिज किये जाने योग्य है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं05 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र का मद नं05 गलत है व अस्वीकार है। गैरसायलान के जब कोई गैरकानूनी मंसूबे है ही नहीं तो उनमें कामयाब होने व सायलान को अपूर्तनीय क्षति होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। विवादित जमीन से जब सायलान का कोई वास्ता व कब्जा है ही नहीं तो उक्त भूमि के सम्बंध में सायलान को कोई क्षति होने का भी प्रश्न नहीं होता। प्रार्थना पत्र खिलाफ कानून होने से खारिज होने योग्य है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं06 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र का मद नं06 गलत है व अस्वीकार है। सायलान का कोई प्राइमाफेसी केस व सुविधा का संतुलन साबित नहीं है, बल्कि प्रार्थना पत्र खिलाफ कानून होने से खारिज होने योग्य है।

उज्रात मजीद

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं07 में दर्ज किया है कि विवादित आराजीयात कल्याण प्रसाद की कोई पैतृक आराजीयात नहीं रही और ना ही इस आधार पर सायलान का उक्त आराजीयात में कोई विरासत के आधार पर अधिकार है,बल्कि उक्त आराजीयात में कल्याण प्रसाद का1/6हि0उसे हकत्याग से प्राप्त हुआ है तथा 1/6 हिस्सा जरिये बंटवारा अन्य दो भाईयों से प्राप्त हुआ है। इस प्रकार उक्त आराजी कल्याण प्रसाद की निजी मिल्कियत रही, जिसे उसे अपने जीवनकाल में ही अपनी खातेदारी की भूमि में प्लाटिंग कर दीगर लोगों को जरिये प्रतिज्ञा पत्र प्लाटों के विक्रय कर खरीदारान के कब्जे करा दिये, इस प्रकार प्रार्थना पत्र सायलान कानूनन [illegible] नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं08 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र सायलान कब्जे के अभाव में खारिज किये जाने योग्य है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sur
Harsolia
Date: 2023.02.15 17:1
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं09 में दर्ज किया है कि सायलान ने विवादित भूमि में प्लाटों के खरीदारान को प्रार्थना पत्र में पक्षकार नहीं बनाया है जो कि आवश्यक एवं नैसेसरी पक्षकार हैं जो भूमि पर काबिज व दखील हैं, इसलिये प्रकरण में नोन जोइन्डर ऑफ पार्टीज का नुक्श होने से प्रार्थना पत्र सायलान खारिज किये जाने योग्य है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं010 में दर्ज किया है कि सायलान ने कल्याण प्रसाद द्वारा अपने जीवनकाल में अपनी खातेदारी की भूमि में जिन लोगों को प्लाटों का विक्रय किया गया है, उनके प्रतिज्ञा पत्र विक्रय को निरस्त कराने के सम्बंध में कोई कार्यवाही नहीं की है, इसलिये प्रार्थना पत्र सायलान खारिज किये जाने योग्य है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं011 में दर्ज किया है कि सायलान क्लीन हैण्ड से न्यायालय के समक्ष नहीं आयी हैं, इसलिये सायलान कोई भी दादरसी प्राप्त करने की कानूनी अधिकारी नहीं है। प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है। अतः सायलान का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायलान मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

वकील सायलान ने दस्तावेजी सबूत में फोटो प्रति नकल जमाबन्दी सं0 2067–70, फोटो प्रति नकल जमाबन्दी सं0 2071–74 किता 3 पेश की हैं।

इसके विपरीत वकील गैरसायलान ने दस्तावेजी सबूत में फोटो प्रति नकल जमाबन्दी सं0 2067–70, फोटो प्रति नकल जमाबन्दी सं0 2071–74, फोटो प्रति प्रतिज्ञा– पत्र विकय दिनांक 13.12.2019, उनवानी कल्याण प्रसाद पुत्र किशोरीलाल जाति कोली निवासी जाट की सराय हिण्डौन बहक बनवारी, गुड्डु पिसरान रामजीलाल जाति कोली निवासी शीतला कोलोनी राजगिरीश अस्पताल के सामने हिण्डौन तहसील हिण्डौन, फोटो प्रति प्रतिज्ञा– पत्र विकय दिनांक 13.12.2019 उनवानी कल्याण प्रसाद पुत्र किशोरीलाल जाति कोली निवासी जाट की सराय हिण्डौन बहक गंगाविशन पुत्र किशोरीलाल जाति कोली निवासी जाट की सराय हिण्डौन तहसील हिण्डौन किता –3, फोटो प्रति प्रतिज्ञा– पत्र विकय दिनांक 13.12.2019 उनवानी कल्याण प्रसाद पुत्र किशोरीलाल जाति कोली निवासी जाट की सराय हिण्डौन बहक रामदयाल पुत्र नत्थीलाल जाति कोली निवासी बडौली तहसील बजीरपुर जिला

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh K Harsolia
Date: 2023.02.15 17:19:47 IS
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (क...)

सवाईमाधोपुर किता –2, फोटो प्रति प्रतिज्ञा– पत्र विक्रय दिनांक 13.12.2019 उनवानी कल्याण प्रसाद पुत्र किशोरीलाल जाति कोली निवासी जाट की सराय हिण्डौन बहक सुरेश पुत्र गिरधर जाति कोली निवासी तेसगांव तहसील नादौती जिला करौली किता–2, फोटो प्रति प्रतिज्ञा– पत्र विक्रय दिनांक 13.12.2019 उनवानी कल्याण प्रसाद पुत्र किशोरीलाल जाति कोली निवासी जाट की सराय हिण्डौन बहक विष्णु चन्द महावर पुत्र नत्थीलाल जाति कोली निवासी बडौली तहसील बजीरपुर जिला सवाईमाधोपुर किता–2, फोटो प्रति प्रतिज्ञा– पत्र विक्रय दिनांक 13.12.2019 उनवानी कल्याण प्रसाद पुत्र किशोरीलाल जाति कोली निवासी जाट की सराय हिण्डौन जरिये मुख्त्यार खास गंगाविशन पुत्र किशोरीलाल जाति कोली निवासी जाट की सराय हिण्डौन तहसील हिण्डौन बहक कपिल महावर पुत्र शिवदयाल महावर जाति कोली निवासी कोली पाडा जाट की सराय हिण्डौन जिला करौली पेश किये हैं।

वकुलाय फरीकेन उपस्थित। वकुलाय फरीकेन की बहस सुनी गई। वकील सायलान ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया है और सायलान का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया है। इसके विपरीत वकील गैरसायल सं01 व 2 ने जबाव प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया है और सायलान का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

वकुलाय फरीकेन की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। सायलान की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी सबूत फोटो प्रति नकल जमाबन्दी सं0 2067–70 के अनुसार आराजी खसरा नम्बर 1405 रकबा 0.65 है0 वाके कस्बा हिण्डौन तहसील हिण्डौन की खातेदारी कल्याण प्रसाद गंगाविशन, भजनलाल पि0 किशोरीलाल, मंगली परवो चन्द्रपति पुत्री किशोरीलाल हि0ब0 जाति कोली निवासी ग्राम खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है तथा इसी जमाबन्दी पर अंकित नोट नामान्तकरण सं0 4733 दिनांक 22.10.2013 विरासत से मंगली पुत्री किशोरीलाल हि01/6 के स्थान पर डालचन्द राजेन्द्र कुमार पि0 इन्दरलाल रामकन्या लक्ष्मीबाई पुत्रियाँ इन्दरलाल हि01/6 स्वीकार हुआ, तथा नोट नामान्तकरण सं0 4764 दिनांक 06.12.2013 हकत्याग से खाते में डालचन्द राजेन्द्र कुमार पि0 इन्दरलाल रामकन्या लक्ष्मीबाई पुत्रियाँ इन्दरलाल हि01/6, परबो पुत्री किशोरीलाल हि01/6 के बजाय कल्याण प्रसाद पुत्र किशोरीलाल हि01/6, भजनलाल पुत्र किशोरीलाल हि01/6,

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh K
Harsolia
Date: 2023.02.15 17:19:47
Reason: SelfAttested

स्वीकार हुआ तथा नोट नामान्तकरण सं0 4739 दिनांक 22.10.2013 हक त्याग से बदपति हि01/6के स्थान पर गंगाविशन पुत्र किशोरीलाल हि01/6 स्वीकार हुआ दर्ज रिकार्ड है।

फोटो प्रति नकल जमाबन्दी सं0 2071–74 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 1405/2 रकबा 0.21 है0 वाके कस्बा हिण्डौन तहसील हिण्डौन की खातेदारी कल्याण प्रसाद पुत्र किशोरीलाल हिस्सा पूर्ण जाति कोली निवासी ग्राम खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है।

फोटो प्रति नकल जमाबन्दी सं0 2071–74 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 1405/1 रकबा 0.22 है0 वाके कस्बा हिण्डौन तहसील हिण्डौन की खातेदारी भजनलाल पुत्र किशोरीलाल हिस्सा 1/22 जाति कोली निवासी ग्राम खातेदार तथा मेवाराम पुत्र रामलाल हि0 21/22 जाति जाटव निवासी चंदीला खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है।

फोटो प्रति नकल जमाबन्दी सं0 2071–74 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 1405/3 रकबा 0.22 है0 वाके कस्बा हिण्डौन तहसील हिण्डौन की खातेदारी गंगाविशन पुत्र किशोरीलाल हिस्सा पूर्ण जाति कोली निवासी ग्राम खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है।

वकील गैरसायलान की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी सबूत फोटो प्रति प्रतिज्ञा– पत्र विक्रय दिनांक 13.12.2019, उनवानी कल्याण प्रसाद पुत्र किशोरीलाल जाति कोली निवासी जाट की सराय हिण्डौन बहक बनवारी, गुड्डु पिसरान रामजीलाल जाति कोली निवासी शीतला कोलोनी राजगिरीश अस्पताल के सामने हिण्डौन तहसील हिण्डौन के अनुसार आराजी खसरा नम्बर 1405/2 रकबा 0.21 है0 कस्बा हिण्डौन में से प्लाट नं0 9 जिसकी नाप पूर्व पश्चिम 30 फिट 6 इंच, उत्तर दक्षिण 30 फिट नाप का बेचान किया गया है।

फोटो प्रति प्रतिज्ञा– पत्र विक्रय दिनांक 13.12.2019 उनवानी कल्याण प्रसाद पुत्र किशोरीलाल जाति कोली निवासी जाट की सराय हिण्डौन बहक गंगाविशन पुत्र किशोरीलाल जाति कोली निवासी जाट की सराय हिण्डौन तहसील हिण्डौन जिला के अनुसार आराजी खसरा नं.1405/2रकबा0.21 है0 कस्बा हिण्डौन में से प्लाट नं016व

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

Signature Not Veri
Digitally signed by Sur
Harsolia
Date: 2023.02.15 17:1
Reason: SelfAttested

न जिसकी कुल नाप पूर्वी भुजा 60 फिट, पश्चिमी भुजा 60 फिट, उत्तरी भुजा 30 फिट दक्षिणी भुजा 39 फिट नाप का बेचान किया गया है।

फोटो प्रति प्रतिज्ञा– पत्र विक्रय दिनांक 13.12.2019 उनवानी कल्याण प्रसाद पुत्र किशोरीलाल जाति कोली निवासी जाट की सराय हिण्डौन बहक गंगाविशन पुत्र किशोरीलाल जाति कोली निवासी जाट की सराय हिण्डौन तहसील हिण्डौन किता के अनुसार आराजी खसरा नम्बर 1405/2 रकबा 0.21 है0 कस्बा हिण्डौन में से प्लाट नं0 03व04 जिसकी कुल नाप पूर्वी भुजा40फिट, पश्चिमी भुजा 43 फिट,उत्तरी भुजा 68 फिट दक्षिणी भुजा 52 फिट का बेचान किया गया है।

फोटो प्रति प्रतिज्ञा– पत्र विक्रय दिनांक 13.12.2019 उनवानी कल्याण प्रसाद पुत्र किशोरीलाल जाति कोली निवासी जाट की सराय हिण्डौन बहक गंगाविशन पुत्र किशोरीलाल जाति कोली निवासी जाट की सराय हिण्डौन तहसील हिण्डौन किता के अनुसार आराजी खसरा नं.1405/2रकबा 0.21है0 कस्बा हिण्डौन में से प्लाट नं0 10 व 11 जिसकी कुल नाप पूर्वी भुजा 60 फिट, पश्चिमी भुजा 60 फिट, उत्तरी भुजा 30 फिट दक्षिणी भुजा 30 फिट नाप का बेचान किया गया है।

फोटो प्रति प्रतिज्ञा– पत्र विक्रय दिनांक 13.12.2019 उनवानी कल्याण प्रसाद पुत्र किशोरीलाल जाति कोली निवासी जाट की सराय हिण्डौन बहक रामदयाल पुत्र नत्थीलाल जाति कोली निवासी बडौली तहसील बजीरपुर जिला सवाईमाधोपुर के अनुसार आराजी खसरा नम्बर 1405/2 रकबा 0.21 है0 कस्बा हिण्डौन में से प्लाट नं0 14 जिसकी कुल नाप पूर्वी भुजा 30 फिट, पश्चिमी भुजा 30 फिट,उत्तरी भुजा 35 फिट दक्षिणी भुजा35 फिट नाप का बेचान किया गया है।

फोटो प्रति प्रतिज्ञा– पत्र विक्रय दिनांक 13.12.2019 उनवानी कल्याण प्रसाद पुत्र किशोरीलाल जाति कोली निवासी जाट की सराय हिण्डौन बहक रामदयाल पुत्र नत्थीलाल जाति कोली निवासी बडौली तहसील बजीरपुर जिला सवाईमाधोपुर के अनुसार आराजी खसरा नम्बर 1405/2 रकबा 0.21 है0 कस्बा हिण्डौन में से प्लाट नं013 जिसकी कुल नाप पूर्वी भुजा 35 फिट,पश्चिमी भुजा 35 फिट उत्तरी भुजा 35 फिट दक्षिणी भुजा 35 फिट नाप का बेचान किया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Harsolia
Date: 2023.02.15 17:19
Reason: SelfAttested

फोटो प्रति प्रतिज्ञा– पत्र विक्रय दिनांक 13.12.2019 उनवानी कल्याण प्रसाद पुत्र किशोरीलाल जाति कोली निवासी जाट की सराय हिण्डौन बहक सुरेश पुत्र

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

गिरधर जाति कोली निवासी तेसगांव तहसील नादौती जिला करौली के अनुसार आराजी खसरा नम्बर 1405/2 रकबा 0.21 है0 कस्बा हिण्डौन में से प्लाट नं0 07 जिसकी कुल नाप पूर्वी भुजा 35 फिट, पश्चिमी भुजा 35 फिट, उत्तरी भुजा 40 फिट दक्षिणी भुजा 40 फिट नाप का बेचान किया गया है।

फोटो प्रति प्रतिज्ञा– पत्र विक्रय दिनांक 13.12.2019 उनवानी कल्याण प्रसाद पुत्र किशोरीलाल जाति कोली निवासी जाट की सराय हिण्डौन बहक सुरेश पुत्र गिरधर जाति कोली निवासी तेसगांव तहसील नादौती जिला करौली के अनुसार आराजी खसरा नम्बर 1405/2 रकबा 0.21 है0 कस्बा हिण्डौन में से प्लाट नं0 08 जिसकी कुल नाप पूर्वी भुजा 31 फिट, पश्चिमी भुजा 31 फिट, उत्तरी भुजा 40 फिट दक्षिणी भुजा 40 फिट नाप का बेचान किया गया है।

फोटो प्रति प्रतिज्ञा– पत्र विक्रय दिनांक 13.12.2019 उनवानी कल्याण प्रसाद पुत्र किशोरीलाल जाति कोली निवासी जाट की सराय हिण्डौन बहक विष्णु चन्द महावर पुत्र नत्थीलाल जाति कोली निवासी बडौली तहसील बजीरपुर जिला सवाईमाधोपुर के अनुसार आराजी खसरा नं.1405/2रकबा 0.21 है0 कस्बा हिण्डौन में से प्लाट नं0 01 जिसकी कुल नाप पूर्वी भुजा 26.6 फिट, पश्चिमी भुजा 28.10 फिट, उत्तरी भुजा 64 फिट दक्षिणी भुजा 73 फिट नाप का बेचान किया गया है।

फोटो प्रति प्रतिज्ञा– पत्र विक्रय दिनांक 13.12.2019 उनवानी कल्याण प्रसाद पुत्र किशोरीलाल जाति कोली निवासी जाट की सराय हिण्डौन बहक विष्णु चन्द महावर पुत्र नत्थीलाल जाति कोली निवासी बडौली तहसील बजीरपुर जिला सवाईमाधोपुर के अनुसार आराजी खसरा नम्बर 1405/2 रकबा 0.21 है0 कस्बा हिण्डौन में से प्लाट नं0 15 जिसकी कुल नाप पूर्वी भुजा 30 फिट, पश्चिमी भुजा 30 फिट,उत्तरी भुजा 30 फिट दक्षिणी भुजा 30फिट नाप का बेचान किया गया है।

फोटो प्रति प्रतिज्ञा– पत्र विक्रय दिनांक 13.12.2019 उनवानी कल्याण प्रसाद पुत्र किशोरीलाल जाति कोली निवासी जाट की सराय हिण्डौन जरिये मुख्त्यार खास गंगाविशन पुत्र किशोरीलाल जाति कोली निवासी जाट की सराय हिण्डौन बहक कपिल महावर पुत्र शिवदयाल महावर जाति कोली निवासी कोली पाडा जाट की सराय हिण्डौन जिला करौली के अनुसार आराजी खसरा नम्बर 1405/2 रकबा 0.21 है0 कस्बा हिण्डौन में से प्लाट नं0 06 जिसकी कुल नाप पूर्वी

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh K Harsolia
Date: 2023.02.15 17:19:47 I
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

भुजा 25 फिट, पश्चिमी भुजा 25 फिट, उत्तरी भुजा 40 फिट दक्षिणी भुजा 40 फिट नाप का बेचान किया गया है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 1405 रकबा 0.65 है0 वाके कस्बा हिण्डौन तहसील हिण्डौन की खातेदारी कल्याण प्रसाद गंगाविशन, भजनलाल पि0 किशोरीलाल, मंगली परवो चन्द्रपति पुत्री किशोरीलाल हि0ब0 जाति कोली निवासी ग्राम खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड थी तथा इसी जमाबन्दी पर अंकित नोट नामान्तकरण सं0 4733 दिनांक 22.10.2013 विरासत से मंगली पुत्री किशोरीलाल हि01/6 के स्थान पर डालचन्द राजेन्द्र कुमार पि0 इन्दरलाल रामकन्या लक्ष्मीबाई पुत्रियॉं इन्दरलाल हि01/6 स्वीकार हुआ, तथा नोट नामान्तकरण सं0 4764 दिनांक 06.12.2013 हकत्याग से खाते में डालचन्द राजेन्द्र कुमार पि0 इन्दरलाल रामकन्या लक्ष्मीबाई पुत्रियॉं इन्दरलाल हि01/6, परबो पुत्री किशोरीलाल हि01/6 के बजाय कल्याण प्रसाद पुत्र किशोरीलाल हि01/6, भजनलाल पुत्र किशोरीलाल हि01/6, स्वीकार हुआ तथा नोट नामान्तकरण सं0 4739 दिनांक 22.10.2013 हक त्याग से चन्द्रपति हि01/6के स्थान पर गंगाविशन पुत्र किशोरीलाल हि01/6 स्वीकार हुआ दर्ज रिकार्ड है इस प्रकार यह स्पष्ट है कि उक्त विवादित आराजीयात में कल्याण प्रसाद , गंगाविशन, भजनलाल पिसरान किशोरीलाल बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार शेष रहे। जिन्होंने उक्त विवादित आराजीयात का आपस में बंटवारा कर लिया तथा खसरा नम्बर 1405 के टुकडे होकर खसरा नम्बर 1405/2 रकबा 0.21 है0 वाके कस्बा हिण्डौन तहसील हिण्डौन कल्याण प्रसाद पुत्र किशोरीलाल के हिस्से में आया तथा खसरा नम्बर 1405/1 रकबा 0.22 है0 वाके कस्बा हिण्डौन भजनलाल पुत्र किशोरीलाल के हिस्से में आया तथा भजनलाल ने उक्त खसरा नम्बर 1405/1 में से हिस्सा 21/22 मेवाराम पुत्र रामलाल जाति जाटव निवासी चंदीला को बेचान कर दिया तथा खातेदारी में मेवाराम की खातेदारी में हिस्सा [illegible] तब्दील हो चुका है तथा खसरा नम्बर 1405/3 रकबा 0.22 है0 वाके कस्बा हिण्डौन गंगावि[illegible] पुत्र किशोरीलाल के हिस्से में आया। जो नकल जमाबन्दी सं0 20[illegible]-24 के अवलोकन से स्पष्ट है। गैरसायल सं01 व 2 की ओर से प्रस्तुत उक्त प्रतिज्ञा पत्र विक्रय की प्रतियों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि खातेदार कल्याण प्रसाद पुत्र किशोरीलाल जाति कोली निवासी जाट की सराय हिण्डौन ने अपनी खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

Signature Not Ver
Digitally signed by Sur
Harsolia
Date: 2023.02.15 17:1
Reason: SelfAttested

1405/2 रकबा 0.21 है0 कस्बा हिण्डौन को दिनांक 13.12.2019 को प्लाटों के रूप में विक्रय किया जा चुका है अर्थात उक्त विवादित आराजीयात अब वर्तमान में काश्त के उपयोग की भूमि नहीं रही है तथा उक्त भूमि कृषि से अकृषि में परिवर्तित हो चुकी है। सायलान के द्वारा ऐसा कोई भी दस्तावेजी सबूत पेश नहीं किया है कि जिससे यह साफ जाहिर हो सके कि उक्त विवादित आराजी खसरा नम्बर 1405/2 रकबा 0.21 है0 उनके पिता कल्याण प्रसाद को विरासत में प्राप्त हुई हो अर्थात सायलान के द्वारा किशोरीलाल के नाम की कोई जमाबन्दी पेश नहीं की गई है। जिससे यह साबित हो सके कि कल्याण प्रसाद को उक्त भूमि उनके पिता किशोरीलाल से विरासत में मिली हो। सायलान के द्वारा पेश किये गये दस्तावेजी सबूतों के आधार पर उक्त विवादित आराजीयात कल्याण प्रसाद की सैल्फ प्रोपर्टी है, जिसको उन्होंने अपने जीवनकाल में ही प्लाटों के रूप में विक्रय करना तथा उक्त विवादित आराजीयात पर उक्त इकरारनामों के आधार पर खरीददारों का मौके पर कब्जा होना प्रतीत होता है। पक्षकारानं के अधिकार दावे में तय होने है। वर्तमान स्थिति में उक्त विवादित आराजीयात से सायलान का कोई सम्बन्ध किसी प्रकार का होना प्रतीत नहीं होता है। इस प्रकार सायलान का प्राईमाफेसी केस, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्तनीय क्षति का बिन्दू सायलान के पक्ष में साबित नहीं होता है बल्कि गैरसायलान के पक्ष में बखूबी साबित है। ऐसे हालात में सायलान का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायलान खारिज योग्य न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः सायलान का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध गैरसायलान विवादित आराजी खसरा नम्बर 1405/2 रकबा 0.21 है0 कस्बा हिण्डौन तहसील हिण्डौन खारिज किया जाता है तथा उक्त प्रकरण में विवादित आराजी खसरा नम्बर 1405/2 रकबा 0.21 है0 कस्बा हिण्डौन के बाबत् दिनांक 18.08.2022 को जारी अन्तिरिम स्थगन आदेश विद्न्नो किये जाते हैं। पत्रावली फैंसल शुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम की जाकर मूल दावा के साथ शामिल मिसल रहे।

निर्णय आज दिनांक 30.09.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अमूपसिंह)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन जिला करौली

Signature Not Ver
Digitally signed by Sur
Harsolia
Date: 2023.02.15 17:1
Reason: SelfAttested